u Pc

कार्यालय : आयकर निदेशक (छूट), सातवी मंजिल, मयूर भवन, नई दिल्ली

फा0-10 आ0नि0(छूट)/2001–02/ 1.प्र. 1 58 दिनांक 13-2-02 N.Delhi

आवेदक का नाम व पता – संत गाडगे मिशन D-37, मानसी विहार, उत्तम नगर, नई दिल्ली

विषय: आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 क क (1) (ख) के साथ पठित धारा 12क के अंतर्गत पंजीकरण का आदेश

1 धारा 12क के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने के लिए फार्म संख्या 10ए में एक आवेदन पत्र 7-9-91 को प्रस्तुत किया गया था।

2 इस आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने में ———— ———— दिनों का विलम्ब हुआ था, जोकि आवेदक द्वारा प्रस्तुत याचिका पर विचार करने के उपरान्त माफ नहीं किया गया।

3 न्यास/सोसायटी/बिना लाभ की कम्पनी का गठन, दिनांक ——— के न्यास प्रलेख/सोसायटी के ज्ञापन के द्वारा किया गया है। न्यास/संगम (एसोसिएशन), सोसायटी/बिना लाभ के कम्पनी के उद्देश्य, न्यास के प्रलेख/संगम (एसोसिएशन) के ज्ञापन पैरा संख्या ———— में दर्शाये गए है।

4 न्यास/प्रबन्धक के कथनानुसार जोकि उनके दिनांक ———— के पत्र द्वारा भी सूचित किया गया है, के अनुसार न्यास का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित गतिविधियों ———— आयोजित करना होगा।

5 इस कार्यालय द्वारा निरीक्षक के माध्यम से न्यास/सोसायटी/बिना लाभ की कम्पनी द्वारा संचालित की जा रही गतिविधियों की जाँच करवायी गयी थी। जाँच रिपोर्ट के अनुसार सोसायटी का कार्यालय ———————— ———————— पर स्थित गतिविधियों को संचालित करने के लिए निम्नलिखित ———————— ढांचा इसके पास उपलब्ध है ————————

6 इस विलेख में कोई गैर धर्मार्थ कार्य करने का उद्देश्य नहीं है जोकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के योगीराज न्यास (103 आईटीआर 777) के मामले में लिये गये निर्णय के विरूद्ध हो। ज्ञापन/न्यास के विलेख और न्यास की वास्तविक गतिविधियों के अवलोकन करने/मेरे समक्ष किए गए वायदे के अनुसार मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि यह धारा 12ए/12एए में दी गयी शर्तों को पूरा करता है। न्यास की गतिविधियाँ वास्तविक है और धर्मार्थ कार्य है। धारा 12एए (1)बी के साथ पठित धारा 12ए के अन्तर्गत दिनांक 7-9-91 से पंजीकरण एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाये।

शर्तें :–

1 आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए(1)(बी) के साथ पठित धारा 12ए(क) के अन्तर्गत जारी आदेश से आवेदक को धारा 11, 12 तथा/अथवा 13 में अपनी आय कर से छूट का दावा प्रस्तुत करने के लिए अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। आय पर छूट केवल तभी उपलब्ध होगी जब निर्धारण अधिकारी इस बात से पूर्णतः सन्तुष्ट हो कि संचालित की जा रही घोषित तथा प्रतिज्ञात (प्रोमिस्ड) गतिविधियाँ वास्तविक है तथा प्रत्येक विशेष वर्ष के संबंधित निर्धारण वर्ष में जिसका दावा किया गया है। और उन पर लागू सभी अनुबंधों/प्रावधानों को पूरा करता है।

2 न्यास/सोसायटी/बिना लाभ की कम्पनी इस अधिनियम की धारा 139ए(1)(ए) व (ii) में दिए गए प्रावधानों के अनुपालन में आदेश जारी होने के एक माह के अन्दर स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त करेगी तथा अपने स्थायी लेखा नम्बर से इस कार्यालय को सूचित करेगी।

3 न्यास/सोसायटी/बिना लाभ की कम्पनी नियमित रूप से अपने लेखे का रखरखाव करेगी और आयकर अधिनियम की 1961 की धारा 12ए(ब) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उसकी लेखा परीक्षा करवायेगी। ज्ञापन में दिए गए प्रावधान के अनुसार प्रत्येक गतिविधि का अलग–अलग लेखा रखना होगा। इन लेखे की एक–एक प्रति निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। संगठन द्वारा की जा रही अथवा की जाने वाली गतिविधियों की सूचना तथा लाभान्वित होने वाले समुदायों से संबंधित, सार्वजनिक सूचना अपने पंजीकृत/नामित कार्यालय पर लगानी पड़ेगी।

4 समूहदान का लेखा, आयकर अधिनियम की धारा 44एए के अनुपालन में अलग से रखना होगा।

5 सभी सार्वजनिक राशि, राशि से प्राप्त राशि तथा अंशदान का संचालन, बैंक के माध्यम से होगा तथा उसकी खाता संख्या इस कार्यालय को सूचित करनी होगी।

6 न्यास के विलेख/सोसायटी के ज्ञापन में किसी प्रकार का परिवर्तन, संबंधित उच्च न्यायालय/सम्बन्धित प्राधिकारी के अनुमोदन बिना प्रभावी नहीं होगी। अम्बा चैम्बर ऑफ कामर्स के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए मुख्य उद्देश्यों पर बिना किसी परिवर्तन के भविष्य में भी निष्ठा–पूर्वक कार्य करना होगा।

7 अधोहस्ताक्षरित को सूचित किए बिना कोई भी सम्पत्ति किसी को भी स्थानान्तरित नहीं की जा सकती चाहे वह न्यास/सोसायटी/बिना लाभ वाली कम्पनी ही क्यों न हो।

8 यदि बाद में यह पाया जाता है कि यह पंजीकरण धोखाधड़ी/मिथ्या निरूपण या किसी तथ्य को छुपाकर प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में पंजीकरण रद्द माना जायेगा।

9 आयकर अधिनियम की धारा 12एए के साथ पठित धारा 12क के अन्तर्गत एतद्द्वारा आदेश पारित किया जाता है तथा इसका इन्दराज इस कार्यालय के रजिस्टर में क्रमांक ——— पर कर दिया गया है।

(सी. डी. बंसल)
आयकर निदेशक (छूट) नई दिल्ली

प्रतिलिपि :–

1 उपर्युक्त आवेदक
2 निर्धारण अधिकारी टी0 सी0
3 आयकर अधिकारी (छूट)

(दलजीत सिंह सेठी)
आयकर अधिकारी (छूट), (मुख्यालय) नई दिल्ली